बिहार सरकार
कृषि विभाग

संख्या–6/स्था० नियु0नियमा0--10/13 1080 /कृ०, पटना, दिनांक 26-9-2014

अधिसूचना

भारत–संविधान के अनुच्छेद–309 के परंतुक के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–3 (रसायन) में भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–**

(i) यह नियमावली ' बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–3 (रसायन) नियमावली–2014 कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह इस नियमावली में तुरंत प्रवृत होगी।

2. **परिभाषा – इस नियमावली में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ।–**

(i) विभाग से अभिप्रेत है बिहार सरकार का कृषि विभाग

(ii) "संवर्ग" से अभिप्रेत है बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–3 (रसायन) का संवर्ग,

(iii) 'आयोग' से अभिप्रेत है "बिहार कर्मचारी चयन आयोग",

(iv) 'वर्ष' से अभिप्रेत है "वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक" की अवधि,

(v) 'सदस्य' से अभिप्रेत है बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा (रसायन) में नियुक्त व्यक्ति,

(vi) 'नियुक्ति' प्राधिकार से अभिप्रेत है कृषि निदेशक, कृषि विभाग।

3. **संवर्ग का गठन एवं पद सोपान।–** यह सेवा राज्य सेवा होगी तथा कृषि विभाग इस सेवा का प्रशासी विभाग होगा।

(1) संवर्ग का मूल पद सहायक अनुसंधान पदाधिकारी का होगा।

(2) संवर्ग की संरचना एवं आकार की समीक्षा विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार की जा सकेगी।

4. **मूल कोटि में नियुक्ति एवं प्रोन्नति ।–**

(1) मूल कोटि के पद सीधी नियुक्ति से भरे जायेंगे।

(2) प्रति वर्ष 1 ली अप्रैल के आधार पर संवर्ग में स्वीकृत पदों के विरूद्ध सीधी नियुक्ति के लिए रिक्त पदों की गणना की जायेगी और 30 अप्रैल तक आरक्षण कोटिवार अधियाचना नियुक्ति प्राधिकार द्वारा आयोग को भेजी जायेगी।

(3) **शैक्षणिक योग्यता** ।– किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय या संस्थान/ केन्द्रीय विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में स्नातक।

(4) **सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति** ।–

(क) सीधी नियुक्ति आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों के बीच से की जायेगी।

(ख) **उम्र सीमा** ।– आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के पहली अगस्त को न्यूनतम आयु 21 (इक्कीस) वर्ष होगी और अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए समय–समय पर अवधारित की जाय, परन्तु विशेष परिस्थिति में उसका कारण अभिलिखित करते हुए विभाग इसे बढ़ा सकेगा।

(ग) **आरक्षण** ।– सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए समय–समय पर अवधारित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे।

(घ) सीधी नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या के साथ अधियाचना प्रत्येक वर्ष आयोग को भेजी जायेगी।

(ङ) **प्रतियोगिता परीक्षा के विषय तथा पाठ्यक्रम** ।– प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित पत्र होगें :–

(i) सामान्य हिन्दी – 100 अंक

(ii) सामान्य ज्ञान – 100 अंक

(iii) कृषि विज्ञान/रसायन शास्त्र – 200–200 अंकों का दो पत्र कुल 400 अंक। (कृषि विज्ञान एवं रसयान शास्त्र से संबंधित अभ्यार्थियों के लिए अलग–अलग स्नातक स्तर के 200–200 अंक के दो प्रश्न पत्र होगें)।

हिन्दी में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परन्तु, इस पत्र में प्राप्तांक की गणना मेधा सूची के प्रयोजनार्थ नहीं की जाएगी। मेधा सूची कृषि विज्ञान/रसायन शास्त्र के 400 अंकों में तथा सामान्य ज्ञान के 100 अंकों में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर तैयार की जाएगी। हिन्दी एवं सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उसके द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अवधारित की जाय। कृषि विज्ञान/रसायन शास्त्र का पाठ्यक्रम विभाग द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित किया जाएगा।

(च) **आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा** ।– आयोग, परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर आरक्षण कोटिवार मेधा सूची तैयार करेगा और प्रतिवेदित रिक्तियों के अनुसार अनुशंसा विभाग को भेजेगा।